



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 65593

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 10563 सन् 2026

शैतान सिंह

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:- पीयूष केसरवानी, सर्वेश कुमार दुबे

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. श्री इंद्र पाल सिंह राजपूत, अधिवक्ता, ने सूचनादाता की ओर से अपना वकालतनामा दाखिल किया है। उसे अभिलेख पर लिया जाता है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री वी.पी. त्रिपाठी, राज्य-विपक्षी पक्ष के विद्वान अपर महाधिवक्ता, तथा श्री इंद्र पाल सिंह राजपूत, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।
3. यह जमानत प्रार्थना पत्र, विचारण की लंबितता के दौरान, मुकदमा अपराध संख्या 107 सन् 2025, धारा 108 भारतीय न्याय संहिता, थाना कम्पिल, जनपद फर्रुखाबाद, में याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ संस्थित किया गया है।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि याचिकाकर्ता को वर्तमान मामले में मिथ्यारूप से फँसाया गया है। कथित घटना दिनांक 12.05.2025 को घटित हुई बताई जाती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 06.07.2025 को दर्ज की गई। यह विलंब अभियोजन के मामले के लिए घातक है। प्रारंभ में प्रथम सूचना रिपोर्ट धाराओं 103(1), 238 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दर्ज की गई थी। अन्वेषण के दौरान मामले को धारा 108 भारतीय न्याय संहिता में परिवर्तित किया गया। मृतक का कोई शव-परीक्षण नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त, प्रथम सूचना रिपोर्ट के आरोपों एवं अन्वेषण के दौरान एकत्र की गई सामग्री के अनुसार, धारा 108 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपराध गठित करने के लिए आवश्यक तत्व प्रमाणित नहीं होते। याचिकाकर्ता ने किसी भी रूप में मृतक द्वारा आत्महत्या किए जाने के लिए दुष्प्रेरण नहीं किया। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के निपुण अनेजा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, आपराधिक अपील संख्या 654 सन् 2017, दिनांक 03.10.2024 को निर्णीत, तथा अभिनव मोहन डेलकर बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, आपराधिक अपील संख्या 2177-2185 सन् 2024, दिनांक 18.08.2025 को निर्णीत, के वादों में दिए गए निर्णयों पर आधारित रहे हैं। अन्वेषण पूर्ण हो चुका है और आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। याचिकाकर्ता के कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं हैं। याचिकाकर्ता दिनांक 16.11.2025 से कारागार में है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह उक्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. विद्वान अपर महाधिवक्ता एवं सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, परंतु अभिलेख से उपर्युक्त प्रस्तुतियों को संतोषजनक रूप से विवादित नहीं कर सके।
6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात् तथा अभिलेख के अवलोकन के उपरांत, यह न्यायालय प्रथम दृष्टया यह पाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से दर्ज की गई है। मृतक का कोई शव-परीक्षण नहीं कराया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आरोपों एवं अन्वेषण के दौरान एकत्र की गई सामग्री के अनुसार, धारा 108 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध गठित करने के लिए आवश्यक तत्व प्रमाणित नहीं होते। कोई ऐसा समीपस्थ या प्रत्यक्ष कार्य, जो याचिकाकर्ता को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरण, षड्यंत्र या जानबूझकर सहायता के रूप में माना जा सके, उसके लिए आरोपित नहीं है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता चार माह से अधिक समय से निरुद्ध रहा है और आरोप-पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई आशा नहीं है, और राज्य द्वारा कोई उचित आशंका सामने नहीं लाई गई है कि याचिकाकर्ता, यदि जमानत पर रिहा किया जाता है, तो साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा या विचारण में विलंब करेगा या गवाहों को भयभीत करेगा, अतः प्रकरण के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, मेरी यह राय है कि याचिकाकर्ता जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. याचिकाकर्ता - सैतान सिंह, जो उपर्युक्त मामले में संलिप्त है, को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा उसी धनराशि में दो प्रतिभूतियाँ, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, प्रस्तुत करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर रिहा किया जाए कि वहः:

(i) विचारण न्यायालय द्वारा नियत तारीखों पर उपस्थित होगा;

(ii) अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा; और

(iii) अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा। उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

8. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(विवेक वर्मा, न्यायमूर्ति)

30 मार्च, 2026

एसकेटी